तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वेदो देवी बनाम सरकार** **14/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00045)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 को अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में दो माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	